(15)

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./01535

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

के समक्ष

तुलसीदास पिता स्व. श्री मानदास बैरागी गौदी पिता,

नंदरामदास बैरागी (साधु) निवासी–ग्राम धतुरिया

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. .... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग पेटलावद ......अनावेदक

O.P. Sharma Adv. 01-6-2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भु–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की और से पुनरीक्षण प्रस्तुत कर निवेदन है कि:–

सदर निगरानी आवेदक की और से न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, उप तहसील झकनावदा तहसील पेटलावद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 3/अ–06(अ)/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 से असंतुष्ट होकर **(म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 जिसे आगे संहिता कहा जायेगा)** की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1535–पीबीआर/2017 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील पेटलावद जिला झाबुआ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–17 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर विचार करने के उपरांत म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के तहत प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र पर विचार किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि सर्वप्रथम प्रकरण की ग्राह्यता पर विचार किया जाता है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	